

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी 2016—माघ 15, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2016

क्र.डी-15-8/2013/14-3 उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (नौ) एवं धारा 44 की उपधारा (ग्यारह) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम, की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

-: प्रारूप नियम :-

अधिसूचना क्रमांक-डी-15-8/2013/14-3 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015" मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित करता है।

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना -

- 01- यह योजना "मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015 कहलाएगी।
- 02- यह योजना मध्यप्रदेश राज्य की सम्पूर्ण कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटियों के लिए प्रभावशील होगी।
- 03- यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।
- 04- यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावशील होगी, जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी हैं।

(ख) परिभाषाएं -

- 01- "अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी" से अभिप्राय ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से हैं जिसने म0प्र0कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31 एवं 32 के अधीन हम्माल एवं तुलावटी के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो और वह मण्डियों में निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हो।
- 02- "हितग्राही" से अभिप्राय योजना में सम्मिलित होने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी से हैं।
- 03- "हितग्राही वार्षिक अंशदान" से अभिप्राय हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि।

- 04- "मण्डी समिति वार्षिक अनुदान" से अभिप्राय मण्डी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि।
- 05- "एक मुश्त सहायता राशि" से अभिप्राय, हितग्राही की निर्धारित योजना अवधि पूर्ण होने पर या हितग्राही की 5 वर्ष के पश्चात् आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की स्थिति में, मण्डी बोर्ड द्वारा रूपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से दी जाने वाली एक मुश्त सहायता राशि।
- 06- "मण्डी समिति" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी समिति।
- 07- "बोर्ड" से अभिप्राय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
- 08- "मण्डी निधि" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-38 के अंतर्गत मण्डी समिति में अर्जित राशि।
- 09- "बोर्ड निधि" से अभिप्राय कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-43 के अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि में अर्जित राशि।

(ग) योजना का विवरण -

यह योजना, म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अधीन मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिए होगी। जो मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी समिति हम्माल/तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015 के नाम से जानी जावेगी।

(घ) पात्रता

मण्डी समितियों में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा।

(ड) चयन

योजना के अंतर्गत पात्र अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में जानकारी एवं उसमें स्वयं के अंशदान की राशि प्रतिवर्ष जमा करने का सहमति पत्र, नामांकन पत्र तथा अन्य दस्तावेज, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर सहायता योजना के प्रावधानों के अनुरूप चयन किया जावेगा।

(च) सहायता योजना में अंशदान एवं हितलाभ

योजना के अंतर्गत चयनित पात्र हितग्राही (हम्माल एवं तुलावटी) को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् उसके द्वारा जमा की गई अंशदान राशि, मण्डी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा योजना के अंतर्गत मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि एवं अर्जित ब्याज सहित राशि एकमुश्त प्राप्त होगी।

01- हितग्राही का अंशदान

योजना के अंतर्गत हितग्राही को न्यूनतम रूपये 1000/- से अधिकतम रूपये 2000/- तक प्रतिवर्ष अंशदान जमा करना होगा।

02- हितग्राही के हितलाभ

- (i) हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष अंशदान राशि जमा करने पर जमा अंशदान राशि की 50% राशि (अधिकतम रूपये 1000/- प्रतिवर्ष) संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में जमा की जाएगी।
- (ii) हितग्राही की 60 वर्ष की आयु के पश्चात्, न्यूनतम योजना अवधि पूर्ण होने पर बोर्ड द्वारा रूपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से एक मुश्त सहायता राशि हितग्राही को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) हितग्राही को योजना अवधि पूर्ण होने पर हितग्राही द्वारा जमा की गई अंशदान राशि, मण्डी समिति द्वारा जमा की गई वार्षिक अनुदान राशि, अर्जित ब्याज तथा योजना अवधि के मान से मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(छ) योजना का विवरण

- (1) हितग्राही के मण्डी समिति में कार्य करते हुए 60 की आयु पूर्ण करने पर, तथा स्वयं के अंशदान की राशि कम से कम 5 वर्ष तक नियमित रूप से प्रतिवर्ष लगातार जमा करने पर उसे मण्डी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली अनुदान राशि की पात्रता होगी। यदि 5 वर्ष से कम अवधि में हितग्राही, योजना से पृथक हो जाता है, अथवा नियमित वार्षिक अंशदान जमा नहीं करता है तो स्वयं का हितग्राही अंशदान तथा मंडी समिति द्वारा प्रतिवर्ष जमा की गई सम्पूर्ण अनुदान राशि मण्डी समिति द्वारा राजसात की जा सकेगी।
- (2) हितग्राही द्वारा अंशदान नियमित (वार्षिक) जमा करते हुए 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् किसी कारणवश योजना से पृथक होने पर उसे स्वयं के अंशदान तथा मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि देयता की पात्रता होगी।
- (3) हितग्राही द्वारा योजना में कम से कम 20 वर्ष तक अंशदान जमा कराने के पश्चात् 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है अथवा निर्धारित आयु पूर्ण करने के पूर्व किसी कारणवश 20 वर्ष पश्चात् योजना से पृथक हो जाता है तो उसे वार्षिक हितग्राही अंशदान, वार्षिक मंडी समिति अनुदान तथा अर्जित ब्याज के अतिरिक्त रूपये 1000/- प्रतिवर्ष की दर से "मंडी बोर्ड एकमुश्त सहायता राशि" की पात्रता भी होगी। इस सम्पूर्ण राशि का भुगतान उसे योजना अवधि पूर्ण अथवा समाप्त होने पर देय होगा।
- (4) हितग्राही को मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता 20 वर्ष से अधिक अवधि तक योजना में सम्मिलित होने की दशा में ही होगी अर्थात् उसके द्वारा कम से कम 20 वार्षिक हितग्राही अंशदान जमा किये जाना अनिवार्य होगा।

- (5) हितग्राही द्वारा 5 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम (अर्थात् 5 से 20 वार्षिक अंशदान से कम) अवधि में योजना से स्वेच्छा से पृथक होने की स्थिति में, उसे स्वयं की अंशदान राशि, मंडी समिति की वार्षिक अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज सहित कुल राशि का भुगतान किया जावेगा। उसे मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता नहीं होगी।
- (6) हितग्राही के योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् 5 वर्ष की समयावधि के पूर्व आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना वश स्थाई अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में उसे पात्रतानुसार स्वयं के अंशदान, मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज की सम्पूर्ण राशि की देयता की पात्रता होगी।
- (7) हितग्राही के 5 वर्ष की समयावधि के पश्चात् आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटनावश स्थाई अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में उसे पात्रतानुसार स्वयं के अंशदान, मंडी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि तथा अर्जित ब्याज की सम्पूर्ण राशि तथा रुपये 1000/- प्रतिवर्ष के मान से मंडी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की देयता की पात्रता होगी। मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी/चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) हितग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को पात्रता अनुसार देय राशियां भुगतान की जावेगी। यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं, तो उन्हें समान रूप से राशि विभाजित कर भुगतान की जावेगी। नामांकन न होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र के आधार पर देय राशियों का भुगतान किया जावेगा।
- (9) योजनान्तर्गत हितग्राही तथा संबंधित मण्डी समिति के सचिव का संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में, यदि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो सहकारी बैंक की शाखा में खोला जावेगा। उसके वार्षिक अंशदान की राशि तथा मण्डी समिति की प्रतिवर्ष अनुदान राशि को सम्मिलित कर, कुल राशि को अधिकतम बैंक

ब्याज दर पर प्रतिवर्ष सावधि जमा के रूप में विनियोजन करने का अनुबंध कृषि उपज मंडी समिति द्वारा खाता खोलते समय संबंधित बैंक से किया जायेगा। योजना अवधि के दौरान राशि का आहरण/निकासी/समय पूर्व नगदीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

- (10) मण्डी अधिनियम/नियम/उपविधि के अंतर्गत हम्माल/तुलावटी के द्वारा किये गये किसी अनैतिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर, मण्डी समिति द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त/समाप्त की जाती हैं तो उसे योजना से पृथक कर दिया जावेगा, ऐसी स्थिति में उसे मात्र उसके द्वारा जमा अंशदान राशि का ही भुगतान किया जावेगा। मंडी समिति की अनुदान राशि एवं मंडी बोर्ड की सहायता राशि तथा अर्जित ब्याज राशि की पात्रता नहीं होगी। इस प्रकार हितग्राही के बैंक खाते में जमा राशि को उसकी अंशदान राशि के भुगतान पश्चात् शेष राशियां मण्डी निधि/बोर्ड निधि में अंतरित की जावेगी।

(ज) योजना में सम्मिलित होने की प्रक्रिया :-

- (1) हम्माल एवं तुलावटी जिस मण्डी में अनुज्ञप्तिधारी होगा, उसी मण्डी समिति की योजना में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।
- (2) सचिव मण्डी समिति प्रत्येक हितग्राही का बैंक में संयुक्त खाता पृथक संधारित करेगा।
- (3) हितग्राही को आवेदन के साथ मण्डी समिति द्वारा चाही गई जानकारी एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) हितग्राही का बैंक में खोला गया खाता फ्रीज खाता होगा। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति के बिना इस खाते से राशि आहरित नहीं हो सकेगी।
- (5) हितग्राही को परिवार के सदस्यों जिसमें उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियों का विवरण देना अनिवार्य होगा। यदि योजना की अवधि के दौरान हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो योजना

के अंतर्गत मिलने वाली राशि उसकी पूर्व की घोषणानुसार पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को दी जावेगी।

- (6) हितग्राही द्वारा योजना की सदस्यता के समय शासकीय चिकित्सालय का शारीरिक स्वस्थता संबंधी "चिकित्सा प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हितग्राही के गंभीर/असाध्य बीमारी से ग्रसित होने की स्थिति में योजना की सदस्यता के लिये पात्र नहीं होगा।
- (7) हितग्राही के बैंक में खोले गए फ्रीज खाते से अंतिम आहरण करने की स्वीकृति/अनुमति के लिए आंचलिक संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (8) हितग्राही सहायता योजना में एक बार ही सम्मिलित हो सकेगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पश्चात् वह पुनः इस योजना में शामिल नहीं हो सकेगा।

(झ) योजना की वित्तीय व्यवस्था :-

हितग्राही को दी जाने वाली मण्डी समिति की वार्षिक अनुदान राशि, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-38 एवं मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि, कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-43 के अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि में अर्जित धनराशि से व्यय होगी।

(य) योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एवं पर्यवेक्षण :-

(1) योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन

योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन का कार्य संबंधित मण्डी समितियों द्वारा किया जावेगा। तत्संबंधी अभिलेखों का समुचित रख-रखाव तथा लेखांकन प्रक्रिया पृथक से रखी जावेगी।

(2) योजना का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण आंचलिक संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा किया जावेगा। योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी समिति का संयुक्त रूप से होगा। मण्डी बोर्ड द्वारा संभावित एवं मण्डी वार योजना का पर्यवेक्षण किया जावेगा। योजना के सुचारु संचालन के लिए मण्डी समितियों से एकजाई जानकारी आंचलिक संयुक्त संचालक के माध्यम से नियमित रूप से प्राप्त की जाकर पर्यवेक्षण किया जावेगा। तथा समय-समय पर

आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिया जावेगा जिससे योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न हो सके।

(झ.) विसंगति का निवारण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है इस हेतु प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे। इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

NO. D-15-8/2013/14-3 The following draft of scheme which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) of Section 79 read with clause (ix) of section 39 and sub section (xi) of section 44 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of scheme will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

A. Short title, extent and application :-

- (1) This scheme shall be called " Mukhyamantri Krishi Upaj Mandi Hammal and Tulavati Vridhavastha Sahyata Yojna, 2015 " .
- (2) This scheme shall be applicable to the Hammal / Tulavati working in all Krishi Upaj Mandi Samities in the state of Madhya Pradesh.
- (3) This scheme shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh State's Gazette.

- (4) This scheme shall be applicable to Hammal / Tulavati and dependents of their family who are the licensee Hammal / Tulavati of the age of 18 to 55 years in the Mandi Samiti as per provisions of mandi Bye-laws.

B. Defination's :- In this scheme, unless context otherwise requires,-

- (1) **"Licenced Hammal and tulavati "**means such licensed person who have obtained licence as hammal / tulavati under section 31 and 32 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 and are doing the prescribed work in the Mandi Samiti and who are not receiving salary from any other source;
- (2) **"Beneficiary"** means licensed hammal / tulavati to be included in the scheme;
- (3) **"Beneficiary's annual contribution"** means the amount to be deposited per year by the Beneficiary ;
- (5) **"Mandi samiti's annual grant"** means amount to be deposited per year by the Mandi Samiti ;
- (5) **"Lump-sum aid"** means a lump-sum amount to be paid at the rate of 1000/-per year by the mandi Board on completion of stipulated scheme term or in the case of accidental death/permanent disability/incurable disease caused to the beneficiary after five years;
- (6) **"Mandi Samiti"** means Krishi Upaj Mandi Samiti ;
- (7) **"Market fund"** means the amount earned in Mandi Samiti under section 38 of the Krishi Upaj Mandi Adhinyam,1972;
- (8) **"Board"** means the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board;
- (9) **"Board fund"** means the amount earned in the State Marketing Development Fund under section 43 of the Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972.

C. Details of the Scheme :-

This scheme shall be for the licensed Hammal / Tulavati of the Mandi Samiti under section 31 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 which shall be known as " Mukhyamantri Krishi Upaj Mandi Samiti Hammal and Tulavati Virbhavastha Sahyata Yojna, 2015 ".

D. Eligibility

- (1) The licensed Hammal / Tulavati shall be eligible for this scheme who are the age of 18 to 55 years and who are working in the Mandi Samiti .
- (2) The licensed Hammal / Tulavati having eligibility under the scheme shall be benefited in this scheme on completion of 60 Years of age or in the case of accidental death / permanent / disability / incurable disease of the beneficiary.

E. Selection

The selection of the eligible licensed Hammal / Tulavati under the scheme shall be made, as per the provisions of this Assistance scheme and on submission of an application as prescribed by the Board along with the consent letter regarding depositing the amount of own contribution annually, nomination letter and other documents to the Secretary, Krishi Upaj mandi Samiti.

F. Contribution and benefit to be distributed in this assistance scheme

Under this scheme the eligible beneficiary (Hammal / Tulavati) after the completion of 60 years of age shall receive in lump-sum, the amount deposited by him, annual grant of Mandi Samiti and lump-sum assistance amount of Board under the scheme along with the interest earned.

01. Contribution of the Beneficiary:-

Under the scheme the beneficiary shall have to deposit the contribution, which would be minimum Rs.1000/- and maximum Rs.2000/- annually.

02. Benefit of the Beneficiary:-

- (i) On depositing of the amount of annual contribution by the beneficiary, the 50 percent amount of the contribution deposited (to a maximum of rupees 1000/- annually) shall be deposited by the concerned Krishi Upaj Mandi Samiti as annual grant.
- (ii) After the 60 years of age of the beneficiary, on the completion of minimum period of scheme, a lump-sum assistance amount at the rate of Rs.1000/- per year shall be provided to the beneficiary by the Board.
- (iii) On the completion of scheme period the beneficiary, shall have eligibility to receive the contribution amount deposited by the beneficiary, annual grant deposited by the Mandi Samiti, interest earned and lump-sum amount of assistance of the Board according to the scheme period.

G. Particulars of the scheme

- (1) Working in a Mandi Samiti and on completion of 60 years as well as depositing continuously self contribution for a minimum of five years the beneficiary shall be entitled for the amount of grant deposited annually by the Mandi Samiti. But, if the beneficiary isolates himself from the scheme, in the period which is less than five year of joining or does not deposit annual contribution regularly then, Mandi Samiti will be able to forfeit, the entire contribution deposited by the beneficiary and the whole amount of grant deposited annually by mandi Samiti.
- (2) Beneficiary depositing regular contribution for five years and then leaving/isolating from the scheme shall be entitled to receive the entire contribution deposited along with the annual amount of grant of Mandi Samiti and the interest earned.
- (3) Beneficiary depositing regular contribution for minimum of Twenty years and then attain the age of 60 years and or before

attaining the prescribed age of 60 leaves / isolates from the scheme shall be entitled to receive the in addition to entire contribution deposited along with the annual amount of grant of Mandi Samiti and the interest earned, Rs 1000/- per year "Mandi Board's lump-sum assistance money". The payment of this whole amount shall be payable to the beneficiary on completion or expiry of the scheme period.

- (4) The beneficiary shall have the eligibility of lump-sum grant of Mandi Board only in the case of being participant of the scheme for the period more than 20 years i.e. it shall be compulsory for him to have deposited his minimum of 20 annual contributions in the scheme.
- (5) In the case of beneficiary's willing isolation from the scheme in the period of more than 5 years and less than 20 years (i.e. more than 5 and less than 20 annual contribution), then the beneficiary he shall be paid his own amount of contribution , annual grant amount of Mandi Samiti along with the interest earned, but shall not have the entitlement of lump-sum assistance amount of Mandi Board.
- (6) In case of beneficiary who has joined the scheme, but has died in an accidental and or has become permanently disabled and or has contacted incurable disease before the term of 5 years in the scheme has been completed, the beneficiary, as per eligibility, shall have the entitlement for getting his own contribution, annual amount of grant of Mandi Samiti along with whole amount of interest earned.
- (7) In the case of beneficiary's accidental death/permanent disability due to accident / contacting incurable disease, after completing the term of 5 years in the scheme, the beneficiary shall have the eligibility to get his own contribution, annual amount of grant of Mandi Samiti and whole amount of interest earned along with lump-sum assistance of Board at the rate of Rs.1000/- per year. However, in the case of death/permanent

disability/incurable disease it shall be compulsory to produce the medical certificate of the competent authority/hospital.

- (8) In the case of beneficiary's death, the payable amount shall be paid to the person nominated by the beneficiary according to eligibility. If the nominated person is more than one, then the total amount payable shall be equally divided amongst the persons nominated. In the case where nomination has not been done, the payable amount shall be paid on the basis of succession certificate issued by the competent officer.
- (9) Under the scheme, a joint account of beneficiary and the Secretary of the concerned Mandi Samiti committee shall be opened in Nationalised Bank and if there is no Nationalised Bank then it shall be opened in the branch of Co-operative Bank. An agreement shall be made by the Krishi Upaj Mandi Samiti with the concerned Bank at the time of opening the account for appropriation of the total amount including the amount of beneficiary's annual contribution and annual amount of grant of the Mandi Samiti at as fixed deposit at the maximum Bank interest rate. During the scheme period withdrawal / clearance / premature encashment will not be made in any condition.
- (10) If under the Mandi Act/Rules/bye-laws, due to illegal activity the licence of Hammal / Tulavati has been cancelled/terminated by the Mandi Samiti, in such a case the said Hammal / Tulavati will be isolated from the scheme and in such a situation the said Hammal / Tulavati shall be paid only the amount of contribution deposited by him and shall not have the entitlement for the assistance amount of Mandi Samiti, the assistance amount of Board and the interest earned. Thus out of the amount deposited in the account of beneficiary after the payment of his contribution amount the remaining amount shall be transferred to Market Fund / Board Fund.

H. Procedure to join the scheme:-

- (1) The Hammal / Tulavati can apply in prescribed form to join the scheme to the Mandi Samiti of which they are licence holder ;
- (2) The Secretary Mandi Samiti shall maintain a separate joint account of each beneficiary in the Bank;
- (3) It shall be compulsory for the beneficiary to produce the information and documents etc. required by the Mandi Samiti ;
- (4) The account opened by the beneficiary in the bank shall be freeze account. No money can be withdrawn from this account without the prior sanction/permission of the competent officer.
- (5) It shall be compulsory for the beneficiary to give detail of his family members in which his wife, son, and daughter's are included. In the case of accidental death of the beneficiary during the scheme period, the amount to be give under the scheme shall be gives to the person(s) eligible according to his previous declaration.
- (6) It shall be compulsory for the beneficiary to produce "medical certificate" of the Government Hospital regarding physical fitness, at the time of obtaining the membership of the scheme. In case of beneficiary is suffering from critical/incurable disease he shall not be eligible for membership of the scheme.
- (7) Regional Joint Director, Mandi Board shall be the competent authority for sanction/permission for final withdrawal from the freeze account of the beneficiary opened in the bank.
- (8) The beneficiary can join the scheme only once. After getting benefit under the scheme, he can't join this scheme again.

I. Financial arrangement of the scheme

The annual amount of grant to given by the Mandi Samiti to the beneficiary shall be paid from the amount earned Market Fund created under the

provisions of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972 Section 38 and the lump-sum assistance amount of Mandi Board shall be paid from the amount earned in the State Marketing Development Fund created as per the provisions of Krishi Upaj Mandi Adhiniyam,1972 Section 43.

J. Implementation and Operation and Supervision of the scheme

- (1) Implementation and operation of the scheme shall be done by the concerned Mandi Samiti and shall properly maintain and keep all accounting and related records separately.
- (2) Supervision shall be made by the office of the Regional Joint Director. The responsibility of complete implementation of the scheme shall be of Regional office and Mandi Samiti jointly. Division wise and market wise supervision of the scheme shall be made by the Mandi Board. For smooth operation of the scheme supervision shall be made by obtaining compiled information through Regional Joint Director, regularly and necessary guidance shall be given from time to time so that there shall be no difficulty in the implementation of the scheme.

K. Removal of discrepancy

Modification may be made in the conditions/rules and provision of benefit mentioned in the scheme, for which the Managing Director shall be authorised. If any discrepancy arises in this regard then the decision of Managing Director of the Board shall be final.

अजय गुप्ता, उपसचिव.